Registered No. E. P.-97

रजिस्टर्ड नं० इ० पी०-९७

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 10 सितम्बर, 1955

HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT

विधान सभा विभाग

अधिसूचना

शिमला-4, दिनांक 8 सितम्बर, 1955

सं० वी० एस० 185/55.—हिमाचल प्रदेश के प्रक्रिया नियमों के नियम 102 के अधीन निम्नलिखित विधेयक जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 8 सितम्बर, 1955 को पुर:स्थापित हुआ। एतद्द्वारा सर्व सामान्य की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 26, 1955

हिमाचल प्रदेश बड़ी ज़मींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1955

(जैसा कि विधान सभा में पुरःस्थापित हुआ)

हिमाचल प्रदेश बड़ी ज़मींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1953 में संशोधन करने का

विधेयक

यह गणतन्त्र के छटे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश बड़ी ज़मींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1955 होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2. 1953 की अधिनियम संख्या 15 की धारा 54 में संशोधन.—हिमाचल प्रदेश बड़ी ज़मींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1953 (जिसे यहां से आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 54 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के परादिक (इ) के खण्डों (क) तथा (ख) को हटा कर उन के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (क) तथा (ख) रखे जाएं:—

"(क) प्रथम मार्च, 1956 से पहले काश्तकारी की ऐसी भूमि या भूमियां विनिहित रीति से विशिष्ट करेगा, जिस से या जिन से वह काश्तकार को निष्कासित करना चाहता है ; और

(ख) 30 सितम्बर, 1956 से पहले उक्त निष्कासन की कार्यवाहियां आरम्भ करेगा।"

3. 1953 की अधिनियम संख्या 15 की धारा 55 में संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 55 के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परादिक बढ़ा दिया जाए:—

"परन्तु 28 फरवरी, 1953 से पूर्व देय लगान के किसी बकाया के सम्बन्ध में काश्तकार निष्कासन के योग्य नहीं होगा, यदि वह 26 जनवरी, 1957 को या इस से पहले बकाया की आधी राशि चुका देता है।",

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

इस विधेयक द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि 28 फरवरी, 1953 से पूर्व देय लगान के किसी बकाया के सम्बन्ध में काश्तकार निष्कासन के योग्य नहीं होगा, यदि वह 26 जनवरी, 1957 को या इस से पहले बकाया की आधी राशि चुका देता है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश बड़ी जमीन्दारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1953 की धारा 54 में थोड़े से परिवर्तन किए गए हैं ताकि उक्त धारा के उपबन्धों का पालन करने के लिए भूस्वामियों को पर्याप्त समय दिया जा सके।

यशवन्त सिंह परमार

बन्सीधर शर्मा,
सचिव।

Printed and published in India by the Manager H.P. Govt. Press, Simla-3